

प्रेस नोट-दिनांक: 10.11.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी शराब (ब्लू लाईम, 30 पाउच प्रत्येक 200 ML, कुल 06 लीटर) बरामदगी के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में प्रभारी इलिया दयाराम गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 09.11.2024 को पतेरी मोड़ के पास वृहद ग्राम इलिया से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 06 लीटर अवैध देशी शराब (ब्लू लाईम, 30 पाउच प्रत्येक 200 ML) बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. उत्तम कुमार सिंह पुत्र रामाकान्त सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर थाना चेनारी जनपद रोहतास, बिहार उम्र करीब 26 वर्ष ।

बरामदगी विवरण-

1. एक सफेद प्लास्टिक के झोले में देशी शराब (30 पाउच ब्लू लाईम लाईम मात्रा प्रत्येक 200 ml) कुल 06 लीटर अवैध शराब।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम -

- प्रभारी निरीक्षक दयाराम गौतम थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- उ0नि0 भोला सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली ।
- का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

□थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे कुल 06 राशि गोवंशों को किया गया बरामद

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.11.2024 को 30नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक अज्ञात वाहन से संदिग्ध वस्तु को ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एनएच 02 हाईवे B.P.S स्कूल नौबतपुर के सामने चेकिंग के दौरान एक अज्ञात पिकअप वाहन जो की चेकिंग प्वाइंट से कुछ दुर पहले ही खड़ी दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा वाहन की तलाशी ली गई तो उक्त पिकअप वाहन से 06 राशि गोवंशों की बरामदगी की गयी। गोवंशों की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 197/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान-

1.B.P.S स्कूल नौबतपुर के सामने NH2 हाईवे पर

पंजीकृत अभियोग-

1.मु.अ.सं. 197/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक पिकप वाहन संख्या यू.पी. 65 केटी 8439
- 2.06 राशि गोवंश(03 राशि साड़ व 03 राशि गाय)

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 2.30नि0 ओमप्रकाश यादव थाना सैयदराजा चन्दौली
- 3.हे0का0 संतोष कुमार सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली
- 4.हे0का0 रूपनारायन सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली
- 5.का0 पवनेश कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली

थाना धानापुर जनपद चन्दौली

□थाना धानापुर व थाना धीना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 10000/- रूपये का इनामिया एक शातिर गोतस्कर को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित इनामिया अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धानापुर महेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मु.अ.सं. 39/2024 थाना धीना के गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना धीना के संयुक्त टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार 10000/- रूपये के इनामिया अभियुक्त बुलन्दी पुत्र तुरंगी निवासी ग्राम चिलविली थाना धीना जनपद चन्दौली को जमुर्खा पुलिसिया पर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ □ **थाना धीना-** क्षेत्र के शातिर गोतस्कर अभियुक्त बुलन्दी पुत्र तुरंगी निवासी ग्राम चिलविली थाना धीना, जनपद चन्दौली के विरुद्ध थाना धीना पर मु.अ.सं. 0039/2024 धारा 3(1) 30प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष धानापुर द्वारा की जा रही है। जिसमें अभियुक्त बुलन्दी उपरोक्त वांछित/फरार चल रहा था। अभियुक्त के ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली द्वारा 10000/- रूपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बुलन्दी पुत्र तुरंगी निवासी ग्राम चिलबिली थाना धीना जनपद चन्दौली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 64/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 थाना कन्दवा
2. मु.अ.सं. 39/2024 धारा 3(1) 30प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली

पुलिस टीम थाना धानापुर-

1. थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2. 30नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी भदाहूं थाना धानापुर जनपद चन्दौली
3. 30नि0 प्रेमशंकर यादव थाना धानापुर जनपद चन्दौली
4. हे0का0 संजय सोनकर थाना धानापुर जनपद चन्दौली
5. का0 अमित कुमार थाना धानापुर जनपद चन्दौली
6. म0का0 निधि सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली

पुलिस टीम थाना धीना-

1. प्र0नि0 रमेश यादव प्रभारी निरीक्षक थाना धीना जनपद चन्दौली
2. का0 अनुराग सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली
3. का0 शंकर कुमार थाना धीना जनपद चन्दौली